





दिनांक: 10.10.2022

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

[A Govt. of India Undertaking]

REGIONAL OFFICE: KOCHI | क्षेत्रीय कार्यालय: कोच्ची

सं.के.भं.नि./ के.ओ.सी./ई-सलाहकार/प्रशा./2022-23/

<u>सूचना</u>

उपभोक्ता मामले, खार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खार्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केंद्रीय भंडारण निगम, एक अनुसूची-ए, मिनीरत श्रेणी I, सार्वजनिक उपक्रम के प्रशासनिक नियंत्रण में अनुबंध के आधार पर राजभाषा सलाहकार के रूप में काम करने केलिए के.भं.नि. के सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त अधिकारियों से एक समेकित मासिक पारिश्रमिक पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं	रिक्ति	नौकरी की आवश्यकता	अभिलक्षित रुपरेखा/ अनुभव	सेवानिवृत्त अधिकारी का स्तर	समेकित मासिक पारिश्रमिक
1	केंद्रीय भंडारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि में	1) आधिकारिक दस्तावेज का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और इसके विपरीत। 2) अन्य कर्मचारियों केलिए हिंदी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 3) राजभाषा विभाग और राजभाषा अभियान द्वारा निर्देशित दस्तावेजों, परिपत्रों,	कोई अन्य सरकारी संगठन समूह 'ए एंड बी' राजभाषा	ई - 1(पात्र वेतनस्तर; रु.40,000/-)	₹.40,000/-
	काम करने केलिए एक (01) राजभाषा सलाहकार	विज्ञापन, अधिसूचनाओं में राजभाषा को बढ़ावा देना। राजभाषा अनुपालन से संबंधित कोई अन्यकार्य		ई - 2 (पात्र वेतनस्तर; रु.50,000/ 1,60,0000/-)	₹.50,000/-

यदि सलाहकार की सेवाएं उपयोगी और संतोषजनक पाई जाती हैं, तो इसे आवश्यकता के अनुसार निगम के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है । सेवा का बढ़ावा आवश्यकता के अनुसार और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होगा । सलाहकार यात्रा के दौरान समकक्ष ग्रेड के कार्यरत के.भं.नि. अधिकारियों के बराबर टी.ए./ डी.ए. और आवास शुल्क के लिए हकदार होगा, जो ई-8 ग्रेड के के.भं.नि. के अधिकारी की पात्रता तक सीमित है। सलाहकार की नियुक्ति के विस्तृत नियम/ शर्ते अनुबंध- के रूप में संलग्न हैं।

आवेदन कैसे भेजें:

(İ) केंद्रीय भंडारण निगम/ अन्यसार्वजनिक उपक्रमों / सरकारी संगठनों के इच्छ्क और पात्र सेवानिवृत्त अधिकारियों को लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भेजना होगा: https://cwceportal.com/Careers | आवेदन 10.10.2022 से 24.10.2022 तक सक्रिय रहेगा।

- (ii) उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय निम्नलिखित की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करेंगे:
 - जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में एस.एस.एल.सी./ 10 वीं प्रमाण पत्र (अनिवार्य दस्तावेज)
 - शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र की प्रतियां (विरष्ठ माध्यमिक परीक्षा से शुरू)। हिंदी में प्रवीणता और अंग्रेजी में माध्यमिक केलिए योग्यता पर प्रकाश डालना।
 - पिछले10 वर्षों केलिए संबंधित नियोक्ता से अनुभव / सेवा प्रमाणपत्र की प्रतियां।
 - नियोक्ता से सेवानिवृत्ति /कार्यम्कि आदेश (अनिवार्य दस्तावेज)।
 - अंतिम आहरित भ्गतान पर्ची / प्रमाणपत्र (अनिवार्यदस्तावेज)।
- (iii) सतर्कता मंजूरी के लिए वचनः आवेदकों को पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रपत्र की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी, प्रपत्र का प्रारूप अनुलग्नक- | | (प्रयोज्यता के अनुसार) के रूप में संलग्न है ।

उम्मीदवारों के साथ सभी पत्राचार केवल वेबसाइट पर ईमेल/घोषणा के माध्यम से किए जाएंगे। कार्मिक साक्षात्कार / कॉललेटर के संबंध में जानकारी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी/ वेबसाइट से डाउनलोड की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे के निर्देशों केलिए नियमित रूप से हमारी वेबसाइट www.cewacor.nic.in देखें। उम्मीदवारद्वारा प्रदान की गई अमान्य/गलत ईमेल आईडी के कारण या अन्य कारणों से भेजे गए ईमेल के किसी भी नुकसान केलिए केंद्रीय भंडारण निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

टिप्पणी:

- पात्रता मानदंड को पूरा करनेवाले इन उम्मीदवारों को ही केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार केलिए विचार किया जाएगा।
- 2. व्यक्तिगत संवाद/ साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई टी.ए/डी.ए का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 3. के.भं.नि. बिना कोई कारण बताए इस नोटिस को रद्द करने का अधिकार स्रक्षित रखता है ।
- 4. आवेदन जमा करना और साक्षात्कार केलिए शॉर्टलिस्ट होना नौकरी की गारंटी नहीं देताहै ।

(मनीष बी आर) क्षेत्रीय प्रबंधक

संलग्न :यथोक्त

प्रतिलिपि:

- 1. सभीक्षे.प्र., के.भं.नि., क्षे. का. -व्यापक प्रचार के लिए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए ।
- 2. प्रबंधक (भर्ती), के.भं.नि., नि. का., नई दिल्ली जानकारी केलिए
- वरि.सहा.प्र. (प्र.सू.प्रणा.), के.भं.नि., नि. का., नई दिल्ली नोटिसकोके.भं.नि.कीवेबसाइटपरअपलोडकरनेकेअनुरोधकेसाथ।

क्षेत्रीय प्रबंधक

(भारत सरकार का उपक्रम,)



CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION



[A Govt. of India Undertaking] REGIONAL OFFICE: KOCHI | क्षेत्रीय कार्यालय : कोच्ची

<u>अनुलग्नक –1</u>

अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियोंपरामर्शदाता के रूप /बाहरी विशेषज्ञों को सलाहकार / में नियुक्तकरने के लिए नियम और शर्तें

- सलाहकार / परामर्शदाता को प्रारंभ में एक (O1) वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक संबंधित विभाग की आवश्यकता के अनुसार वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है ।
- 2. के.भं.नि. के भूतपूर्व कर्मचारी के मामले में सेवानिवृत्ति के समय आवेदक के खिलाफ कोई सतर्कता मामला लंबित नहीं होना चाहिए। निगम सलाहकार / परामर्शदाता के विवरण का सत्यापन करेगा और यदि यह सत्य नहीं पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।
- 3. सलाहकार/ परामर्शदाता को स्टाम्प पेपर के उचित मूल्य पर निगम के साथ एक गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता से युक्त समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा जो निगम के प्रचलित दिशानिर्देशों के अन्रूप नहीं है।
- 4. सलाहकार / परामर्शदाता को क्षे. प्र. / नि. का. द्वारा अधिसूचित समय के अनुसार सभी कार्य दिवसों में निगमित कार्यालय में सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक और क्षेत्रीय कार्यालयों और भंडारगृहों में सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक काम करना होगा।
- 5. सलाहकार सेवानिवृत्ति के समय धारित अंतिम पद की पात्रता के अनुसार और अन्य पी.एस.यू/सरकार के मामले में टी.ए/डी.ए और आवास शुल्क के लिए हकदार होगा। के.भं.नि. में समकक्ष पद के आधिकारिक दौरे पर, अधिकतम ई-8 स्तर के अधीन
- 6. सलाहकार / परामर्शदाता इस मामले से संबंधित किसी भी बाहरी एजेंसी को कोई भी सूचना नहीं देंगे, जो भी उनकी परामर्श की अविध के दौरान उनकी जानकारी में आता है।
- 7. सलाहकार/ परामर्शदाता निगम की ओर से बाहरी एजेंसियों को दिए गए किसी भी दस्तावेज/शपथपत्र आदि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे ।
- 8. सलाहकार/ परामर्शदाता को उसे दिए जाने वाले समेकित पारिश्रमिक के अलावा कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा ।
- 9. टी.डी.एस. परामर्श शुल्क पर लागू नियमों/ कानूनों के अनुसार काटा जाएगा ।
- 10. सलाहकार / परामर्शदाता निगम के साथ परामर्श की अवधि के दौरान पूर्ण सत्यनिष्ठा / भक्ति और अनुशासन बनाए रखेंगे ।
- 11. मासिक पारिश्रमिक से राशि की कटौती यथानुपात आधार पर की जाएगी यदि सलाहकार/ परामर्शदाता नियंत्रण अधिकारी के निर्णय पर उन्हें अनुमत प्रति माह दो छुट्टियों को छोड़कर तैनाती के स्थान से अनुपस्थित रहता है ।

- 12. सलाहकार / परामर्शदाता कार्य स्थल पर / छुट्टियों / विलम्ब के घंटों में उपस्थित होना होगा जैसा कि नियंत्रक अधिकारी द्वारा आवश्यक हो, जिसके लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 13. परामर्श की अविध को निगम द्वारा बिना किसी नोटिस और कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- 14. के.भं.नि. के साथ काम करने वाले सलाहकार/ परामर्शदाता को के.भं.नि. में अपनी परामर्श की अविध के दौरान अन्य संगठन/ कंपनी (सरकारी या निजी) के साथ कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
- 15. निगम द्वारा नियुक्त सलाहकार/ परामर्शदाता का के.भं.नि. के साथ कोई कर्मचारी/ नियोक्ता संबंध नहीं होगा । इसलिए, वेके.भं.नि. के कर्मचारियों को उपलब्ध ऐसे किसी भी लाभ के लिए पात्र/ हकदार नहीं होंगे ।



(भारत सरकार का उपक्रम,)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION [A Govt. of India Undertaking] REGIONAL OFFICE: KOCHI | क्षेत्रीय कार्यालय : कोच्ची



<u>अनुलग्नक-॥</u>

सतर्कता मंज्री केलिए वचन (सम्ह - अ अधिकारियों केलिए)

में <u>श्री . / सुश्री/ . श्रीमती.</u>	एतद्द्वारा घोषणा
करता हूं कि मेरे खिलाफ न तो कोई अनुशासनात्मक / आपराधिक	कार्यवाही / आरोप पत्र लंबित
था और न ही उस संगठन द्वारा मुझे कोई दंड दिया गया था जहां	मैं अपनी सेवानिवृत्ति से पहले
पिछले 10 वर्षों से सेवा कर रहा था।	
तारीख:	
स्थान :	
	(अवेदक का हस्ताक्षर)
ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाना है ।	
सतर्कता मंज्री केलिए वचन	
(सम्ह बी अधिकारियों केलिए)	
<u>मैं श्री . / सुश्री/ . श्रीमती.</u>	एत द्वारा घोषित करता
<u> १ कि जहां मैं अपनी सेवानिवृत्ति से पहले सेवा कर रहा था</u>	
<u> अनुशासनिक / आपराधिक कार्यवाही / आरोप पत्र लंबित था और</u>	
<u>अंगठनों द्वारा कोई दंड दिया गया था ।</u>	<u> </u>
<u> </u>	
<u>तारीखः</u>	
 स्था <u>न :</u>	
	(अवेदक का हस्ताक्षर)



(भारत सरकार का उपक्रम,)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

[A Govt. of India Undertaking]

REGIONAL OFFICE: KOCHI | क्षेत्रीय कार्यालय:कोच्ची



Dated: 10.10.2022

No: CWC/KOC/I-Consultant/Admn./22-23/

NOTICE

Applications are invited from Retired / Superannuated officials of Central Warehousing Corporation (CWC) or any other Government Organization to work as **Rajbhasha Consultant on contractual basis** in Central Warehousing Corporation, Kochi Region, a Schedule-A, Miniratna Category I, PSU under administrative control of Dept. of Food and Public Distribution under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, on a consolidated monthly remuneration. Details of vacancies are as below:

Vacancy	Job requirement	Desired Profile / Experience	Level of retired official	Consolidated Monthly Remuneration
To work at CWC, RO, Kochi One (01) Rajbhasha	 Translation of official document from English to Hindi & vice versa. Organizing Hindi language training program for other employees. 	Retired CWC or any other Government Organization Group 'A & B' Rajbhasha Official.	E – 1 (Eligible Pay Level; Rs.40,000/-)	Rs. 40,000/-
Consultant	3) Promoting Rajbhasha in documents, circulars, advertisement, notifications as directed by the Rajbhasha Vibhag & Rajbhasha Abhiniyam. Any other work related to Rajbhasha compliance.		E – 2 (Eligible Pay Level; Rs.50,000/ 1,60,0000/-)	Rs. 50,000/-

The contract may be extended at the discretion of the Corporation as per requirement, if the services of the Consultant are found useful and satisfactory. The Extension will be as per requirement and up to the age of 65 years. Consultant would be entitled for TA/DA and lodging charges as per eligibility of last post held at the time of retirement and in the case from other PSU/Govt. of the equivalent post in CWC, while on official tour, subject to maximum of E-8 level. The detailed terms & conditions of engagement of Consultant are enclosed as **Annexure-I**.

How to Apply:

(i) Interested and eligible superannuated officials of Central Warehousing Corporation / from other PSUs / Government organization shall have to apply Online through the link: https://cwceportal.com/careers. The Link for Online Application shall remain active from 10.10.2022 to 24.10.2022.

- (ii) Candidates shall upload the scanned copies of following while filling the Application form through online:
 - SSC/10th Certificate as a proof of Date of Birth.
 - Copies of Educational Qualification Certificate (starting from Senior Secondary Examination). Highlighting qualifications for proficiency in Hindi and secondary in English.
 - Copies of Experience / Service Certificate from the respective employer for the last 10 years.
 - Superannuation / Relieving Order from the Employer (Mandatory Document).
 - Last drawn Payslip / Certificate (Mandatory Document).
- (iii) <u>Undertaking for Vigilance Clearance</u>: The applicants shall mandatorily upload the duly signed copy of proforma while applying Online for the post, the format of proforma is enclosed as **Annexure-II** (as per admissibility).

All correspondence with the candidates shall be done through email/ announcement on the Website only. Information regarding Personnel Interview/ Call letters shall be provided through email / to be downloaded from website. For this purpose the candidates are advised to visit our website **www.cewacor.nic.in** regularly for further instructions. CWC shall not be responsible for any loss of email sent, due to invalid / wrong email ID provided by the candidate or due to other reason.

Note:

- 1. Those Candidates, who fulfill the eligibility criteria, will only be considered for Personal Interview.
- 2. No TA/DA shall be paid for attending Personal Interaction/ Interview.
- 3. CWC reserves the right to cancel this notice without assigning any reasons thereof.
- 4, Submission of the application and getting Shortlisted for the interview doesn't guarantee the job.

(MANEESH B R) REGIONAL MANAGER

Copy to:

- 1. All RMs, CWC, ROs for display on notice board for wide publicity.
- 2. The Manager (Rectt.), CWC, CO, New Delhi for information.
- 3. The SAM (MIS), CWC, CO, New Delhi with a request to upload the Notice on CWC website.

REGIONAL MANAGER



(भारत सरकार का उपक्रम,)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION



REGIONAL OFFICE: KOCHI | क्षेत्रीय कार्यालय: कोच्ची



ANNEXURE - I

TERMS & CONDITIONS FOR ENGAGING RETIRED EMPLOYEES/ OUTSIDE EXPERTS AS CONSULTANT / ADVISOR ON CONTRACTUAL BASIS

- 1. The Consultant / Advisor will be engaged initially for one (01) year and the tenure could be extended on yearly basis as per the need of the concerned Department till attaining the age of 65 years.
- 2. There should be no vigilance case pending against the applicant at the time of retirement in case of ex-employee of CWC. The Corporation shall verify details of the consultant / advisor and in case it is found to be not true, his / her services will be terminated without assigning any reason.
- 3. The Consultant / Advisor shall have to sign a Non-Disclosure and Confidentiality Agreement with the Corporation on appropriate value of Stamp Paper which is inconsonance with prevalent guidelines of the corporation.
- 4. The Consultant / Advisor would be required to work on all working days from 9.30 Am to 6.00 PM at Corporate Office and 10.00 AM to 5.00 AM at Regional Offices and at Warehouses as per timings notified by RM/CO.
- 5. Consultant would be entitled for TA/DA and lodging charges as per eligibility of last post held at the time of retirement and in the case from other PSU/Govt. of the equivalent post in CWC, while on official tour, subject to maximum of E-8 level.
- 6. The Consultant/Advisor would not communicate any of the information to any outside agency related to the matter, whatsoever, comes to his knowledge during the period of their consultancy.
- 7. The Consultant/Advisor would not sign any document/affidavit etc. given to outside agencies on behalf of the Corporation.
- 8. The Consultant/Advisor will get no other benefit whatsoever except the consolidated remuneration being offered to him/her.
- 9. The TDS would be deducted as per applicable rules/laws on the consultancy charges.
- 10. The Consultant/Advisor would maintain absolute integrity/devotion and discipline during the period of their consultancy with the corporation.
- 11. The deduction of amount from monthly remuneration will be made on pro-rata basis if the consultant/advisor remains absent from place of deployment except two holidays per month allowed to them at the discretion of the Controlling Officer.
- 12. The Consultant/Advisor shall have to attend at the work place/on holidays/late hours as may be required by Controlling officer for which no extra remuneration will be paid.
- 13. The period of consultancy can be terminated anytime by the Corporation without any notice and assigning any reasons thereof.
- 14. The Consultant/Advisor working with CWC will not be permitted to take up any assignment with other organization/Company (Govt. or private) during the currency of their consultancy in CWC
- 15. The Consultant/Advisor engaged by the Corporation will have no employee/employer relationship with CWC. Hence, they will not be eligible/ entitled for any such benefits available to the employees of CWC.



केंद्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम) CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION [A Govt. of India Undertaking]

REGIONAL OFFICE: KOCHI | क्षेत्रीय कार्यालय : कोच्ची



.....

ANNEXURE-II

<u>Undertaking For Vigilance Clearance</u> (For Group A Officers)

I Mr./Ms./Mrs.	hereby
declare that there was neither any disciplinary / crim	inal proceedings / charge sheet
pending against me nor any punishment was award	_
where I was serving for last 10 years before my sup	erannuation.
Date:	
Place:	
	(Signature of Applicant)
To be uploaded along with online application	
10 be uploaded along with online application	
Undertaking For Vigilance	e Clearance
<u>Undertaking For Vigilance</u> (For Group B Offic	
<u>Undertaking For Vigilance</u> (For Group B Office	
(For Group B Offic	ers)
(For Group B Office) I Mr./Ms./Mrs.	ers)hereby
(For Group B Office I Mr./Ms./Mrs. declare that there was neither any disciplinary / crim	hereby
(For Group B Office I Mr./Ms./Mrs. declare that there was neither any disciplinary / crimpending against me nor any punishment was awards	hereby
(For Group B Office I Mr./Ms./Mrs. declare that there was neither any disciplinary / crim	hereby
I Mr./Ms./Mrs. declare that there was neither any disciplinary / crimpending against me nor any punishment was award where I was serving before my superannuation.	hereby
(For Group B Office I Mr./Ms./Mrs. declare that there was neither any disciplinary / crimpending against me nor any punishment was awards	hereby
I Mr./Ms./Mrs. declare that there was neither any disciplinary / crimpending against me nor any punishment was award where I was serving before my superannuation.	hereby